

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020


जयपुर, दिनांक : 10.04.2020

आदेश

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य रोगी जिनकी Chronic Diseases की नियमित दवाएँ चलती है, वह कोरोना वायरस (COVID-19) के मध्यनजर राजकीय चिकित्सक से परामर्श प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं/अथवा अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे मरीजों को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को देखते हुए एक फरवरी, 2020 या उसके बाद के राजकीय चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) के आधार नियमित दवाएँ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जावें। चिकित्सकीय परामर्श की पर्ची की दवा राज्य के किसी भी अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी से प्राप्त की जा सकती है।


साथ ही राजस्थान राज्य के समस्त कैमिस्टों को निर्देशित किया जाता है कि वह 01 फरवरी, 2020 के बाद से मरीज के चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) के आधार पर जो दवायें उन्हें नियमित रूप से दिया जाना आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जावें तथा चिकित्सकीय परामर्श (Prescription) पर "दवा उपलब्ध करवा दी गई" लिखते हुए अपनी मोहर भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

उक्त आदेश राज्य में लॉक डाउन समाप्त होने पर स्वतः ही निष्प्रभावी माने जावें।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राज. जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
9. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
10. औषधि नियन्त्रक, प्रथम/द्वितीय, औषधि नियन्त्रण संगठन, राज. जयपुर
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. कैमिस्ट एसोसियेशन, राज. जयपुर
14. निजी /रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव 10.4.2020



JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

JPD/Rules- 1303

CIN: U40109RJ2000SGC016486
(A Government of Rajasthan Undertaking)

"प्रजासिंह शक्ति सूर्यको"

Office: Room no. 3, Old Power House Premises, Near Ram Mandir,

Banipark, Jaipur- 302006. Email: caoia@jvvn.org / Website: <http://energy.rajasthan.gov.in/jvvn>

No. JPD/CAO(IA)/AAO/Rules/F17 D. 255

Jaipur, dated: - 28/05/2020

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), JPD, _____
2. The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur
3. The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Sr. Accounts Officer ()/ Dy. Director of Personnel (), JPD, _____
8. The Superintending Engineer (), JPD, _____
9. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, _____
11. P.A to the Accountant General (E&R Sector Audit), O/o Principal AG Rajasthan, Jaipur.
12. P.A to the Chairman & Managing Director, JVVNL, Jaipur.
13. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(Dr. R.P. Gupta)
Chief Accounts Officer (IA)